

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प. 15(33) वन/1998-पार्ट-II

जयपुर, दिनांक 20 JAN 2020

संशोधन/अधिसूचना

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-2(1)रे वे/8/73/पार्ट-1/जयपुर, दिनांक 09.02.1983 में राजस्थान वन (उत्पाद परिवहन) नियम, 1957 के नियम-3 के उपनियम (1) में वर्णित 'मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान' के स्थान पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, संभागीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), तथा उप वन संरक्षक (प्रादेशिक/वन्य जीव) को वन उपज को राज्य से बाहर परिवहन किये जाने हेतु पारपत्र जारी किये जाने की शक्तियां एतद् द्वारा प्रदत्त की जाती हैं।

APC (F.O.)
4
22/11/20

379
24/11
26

आज्ञा-से,

—Sd—
(डॉ० दीप नारायण-वाण्डेय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय वन राज्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव।
4. निजी सचिव, शासन सचिव।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक।
7. समस्त उप वन संरक्षक।
8. समस्त सहायक वन संरक्षक।
9. रक्षित पत्रावली।

1/14/20
4
30/11/20

—Sd—
(जगदीश लाल मीणा)
सहायक शासन सचिव